राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...1110, 1111, 1112, 1113, एवं 1114/2017.................................जिला............भीलवाडा......................

उनवान – मैसर्स पी0के0 ऐक्सिम, भीलवाडा बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज0 प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

02/08/2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह पांचों अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि
1		2	3	4
1110/17	11–12	3,44,377	1,92,456	1,51,921
1111/17	14–15	13,33,494	8,30,116	5,03,378
1112/17	15–16	3,47,765	2,24,694	1,23,071
1113/17	13–14	33,06,731	19,85,384	13,21,347
1114/17	12–13	54,98,353	31,92,934	23,15,419

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में Lime Mortar (Expansive Mortar) अथवा Slaked Lime का आयात किया गया जो शिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 81 के तहत 5 प्रतिशत से करयोग्य था क्योंकि बिक्रित माल "लाइम" की श्रेणी में ही है परन्तु उसे गलत रूप से "लाईम" नहीं मानकर शिड्यूल V के तहत अवशिष्ट दर 14 प्रतिशत से करारोपण कर दिया गया है जो अविधिक है एवं उत्पाद की गलत व्याख्या है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार..........2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1110, 1111, 1112, 1113, एवं 1114/2017..............................जिला...........भीलवाडा......................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 2 –	
02/08/2017	उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में Lime Mortar (Expansive Mortar) Slaked Lime पर 5 प्रतिशत कर दर से कर अदा किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के उत्पाद अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 81 में अंकित "लाईम" की श्रेणी में नहीं होने के बिन्दु पर पूर्ण विवेचन के साथ एवं आयातीत माल की प्रकृति पर पूर्ण विवरण देते हुए जो निर्णय किया है वह प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है फलतः आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज की वसूली पर रोक लगाने का आवेदन खारिज किया जाता है।	
	उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रकरणों में प्रस्तुत अपीलें मय रोक प्रार्थना पत्रों के अस्वीकार की जाती है परन्तु अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में अपील का निस्तारण शीघ्र करने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।	
	निर्णय की मूल प्रति पृथक से प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे। आदेश प्रसारित किया गया।	
	2/8/17 (मदन लाल मालवीय) सदस्य	
	2/8/2017 (के.एल.जैन) सदस्य	